



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-04082026-275185
CG-DL-E-04082026-275185

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4137]

नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 3, 2026/श्रावण 12, 1948

No. 4137]

NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 3, 2026/SHRAVAN 12, 1948

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 जुलाई, 2026

का.आ. 4313(अ).— पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) (इसके बाद उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 के खंड (क) के अनुसरण में भारत सरकार एतद्वारा, मध्य प्रदेश राज्य में गेल (इंडिया) लिमिटेड की मुंबई-नागपुर-झारसुगुडा प्राकृतिक गैस पाइपलाइन के लिए उक्त अधिनियम के तहत, इस अधिसूचना के भारत के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से श्री शैलेन्द्र सिंह, अपर कलेक्टर, जिला जबलपुर, मध्य प्रदेश सरकार को, श्री विंद्र प्रसाद द्विवेदी, अपर कलेक्टर (सेवानिवृत्त), मध्य प्रदेश सरकार के स्थान पर अतिरिक्त प्रभार के आधार पर, सक्षम प्राधिकारी के कार्यों का निर्वहन करने के लिए अधिकृत करती है।

[फा. सं. एल -14014-71-2018-जी पी-II (ई-41635)]

राजन कुमार साव, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 31st July, 2026

S.O. 4313(E).— In pursuance of clause (a) of Section 2 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962) (hereinafter referred to as the “said Act”), the Government of India hereby authorizes Shri Shailendra Singh, Additional Collector, Jabalpur District, Government of Madhya Pradesh, to discharge the functions of the Competent Authority with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette of India under the said Act on additional charge basis, in place of Shri Vindra Prasad Dwivedi, Additional Collector (Retired), Government of Madhya Pradesh, for the Mumbai-Nagpur-Jharsuguda Natural Gas Pipeline of M/s GAIL (India) Limited in the State of Madhya Pradesh.

[F. No. L-14014-71-2018-GP-II (E-41635)]

RAJAN KUMAR SHAW, Under Secy.